

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

कमांक.....102/

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 06/06/2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-408 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री वंदना सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी त्योंथर की न्यायालय में लंबित थाना पनवार के अपराध कमांक-52/2020 एवं न्यायालय के दांडिक प्रकरण कमांक-327/2020 म0प्र0 राज्य वि0 अंकित कारपेन्टर तथा थाना जवा के अपराध कमांक-207/2018 एवं न्यायालय के दांडिक प्रकरण कमांक-875/2018 म0प्र0 राज्य वि0 रवि पटेल का प्रकरण तहसील त्योंथर के पुलिस थाना पनवार एवं जवा थाना अंतर्गत नारकोटिक्स ड्रग एण्ड साइकोटोपिक्स सब्सटेन्स (एन0डी0पी0एस0) एक्ट की क्षेत्राधिकारिता से संबंधित होने के कारण उक्त दोनों प्रकरणों को सुश्री वंदना सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी त्योंथर की न्यायालय से प्रत्यहरित किया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री विक्रम सिंह अति. विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0) एक्ट रीवा के न्यायालय में अंतरित किये जाते हैं।

sd/-

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म0प्र0)


पृष्ठांकन क0.2991/

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 06/06/2024

प्रतिलिपि:-

1. द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा। (उपरोक्तानुसार मूल प्रकरण संलग्न)
2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर।  
को निर्देशित किया जाता है कि मूल प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय से प्राप्त/प्रेषित करना/सुनिश्चित करें।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/त्योंथर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जू0सि0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 रीवा (म0प्र0)